International Journal of Humanities, Social Sciences and Literary Research
(An International Peer-Reviewed (Refereed) Journal)
Website: www.ijhslr.org/
E-mail: editorinchief@ijhslr.org
ISSN (Online): 3139-3225

अर्थशास्त्रीय करारोपण एवं लोकतंत्र : वर्तमान परिदृश्य में

डॉ. सुजीत कुमार पटेल
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मड़ियाहूँ जौनपुर
ई-मेल - *sujeetbhu49@gmail.com*

Received: 15 April 2026, Revised: 10 May 2026, Accepted: 30 May 2026, Available Online: 30 June 2026
https://doi.org/10.5281/zenodo.21111020

सार

कौटिलीय अर्थशास्त्र प्राचीन राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन का सुव्यवस्थित आधार-स्तंभ है, जिसमें आदर्श राज्य संचालन के प्रमुख स्तंभ जैसे–कर निर्धारण, राजस्व प्रबंधन, सैन्य प्रबंधन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से ओत-प्रोत समस्त राज्य-शासन विधान विषयक सिद्धांत समुचित रूप से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से राष्ट्रीय विकास की रीढ़ कही जाने वाली कर-पद्धति प्रचलित है, जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचों इत्यादि के समुन्नयन एवं अनुदान के लिए विभिन्न मदों से कोष एकत्र करती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी उद्योगों एवं राज्य में रहने वाली जनता से विभिन्न प्रकार का राज्यांश एकत्र कर कोष संग्रह किया जाता था। राजव्यवस्था के इतिहास में राज-कर का मौलिक महत्व माना गया है, क्योंकि राज-कर का संबंध प्रजा से होता था| कौटिल्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ एवं आदर्श स्वरूप इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है–

"प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥"

अर्थशास्त्रीय कर-पद्धति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कर-संचय का उद्देश्य केवल राजकोष भरना ही नहीं, अपितु प्रजा एवं राज्य के बीच संतुलन स्थापित करना था। कौटिल्य के अनुसार करारोपण ऐसा होना चाहिए जो न तो प्रजा को कष्ट देने वाला हो और न ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों को असंतुलित करने वाला हो; अर्थात कर लोकतंत्र की आधार जनता के सामर्थ्य के अनुसार पारदर्शी, भ्रष्टाचार-नियंत्रक एवं लोकतंत्र के अधिकारों का संरक्षण करने वाला

होना चाहिए| यदि हम तत्कालीन लोकतंत्र के स्वरूप की बात करें तो भले ही उस समय लोकतंत्रीय मूल्यों का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, फिर भी कौटिल्य की शासन-प्रणालियों में लोकतंत्रीय मूल्यों एवं प्रतिमानों की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व, लोक-परामर्श, जनकल्याण आधारित नीतियाँ, दंड-व्यवस्था में न्याय तथा प्रजा-कल्याण को प्राथमिकता देने वाले तत्त्व वर्तमान लोकतंत्र के मूल तत्वों से समानता रखते हैं। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा निर्धारित कर-विधान एवं लोकतंत्रीय मूल्य एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं| प्रस्तुत शोधपत्र में कौटिल्य की कर पद्धति का विश्लेषण, कराधान संबंधी सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, कर-संग्रह की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-नियंत्रण तंत्र, राजस्व के विविध स्रोत तथा आधुनिक लोकतांत्रिक कर प्रणाली के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता का विस्तृत अध्ययन किया गया है। साथ ही, यह शोधपत्र दर्शाता है कि कैसे कौटिल्य के आर्थिक सिद्धांत आज भी भारत सहित विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं|

मुख्य शब्द: कराधान, लोकतंत्र, राज कर, समाहर्ता।

प्रस्तावना

प्राचीन भारत के इतिहास में आचार्य कौटिल्य का महान व्यक्तित्व स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। चणक के पुत्र होने के कारण इनकी उपाधि चाणक्य भी है। आचार्य पारंगत राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य के यश के साथ एकप्राण होकर, एक ओर तो विपुल भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्तिकथा को अमर बनाये है और दूसरी ओर अपनी अद्वितीय अद्भुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव उन्हें प्राप्त है|

आचार्य द्वारा प्रणीत अर्थशास्त एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन के सभी आयामों का विशद् चित्रण परिलक्षित होता है। अर्थशास्त्र के व्यापक अनुशीलन से आचार्य के कुशल राजनीतिज्ञता, कुटनीतिज्ञता, अर्थविद्वता, ज्ञान परम्परा एवं शासन-चिंतन का व्यापक प्रभाव प्रतिविम्बित होता है|

कौटिल्य का समय 4०० ई० पूर्व है। तत्कालीन भारतीय इतिहास अत्यन्त परिवर्तनशील राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। महाजनपदों और गणराज्यों के पतन के बाद राष्ट्र को एक सशक्त, एकीकृत और सुव्यवस्थित राजनीतिक ढाँचे की आवश्यकता थी। तत्कालीन परिस्थितियों में आचार्य कौटिल्य ने अपनी कुटिल मति से भारतीय इतिहास के उदीयमान नक्षत्र चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में नंद वंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली यवनराज सिकन्दर के सम्पूर्ण प्रयत्नों को विफल कर 321 ई० पूर्व में मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आचार्य ने कुशल एवं आदर्श राज्य संचालन हेतु वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, जिसे अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाता है|

राष्ट्र की समुन्नति, सुरक्षा एवं आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार कोष होता है इसीलिए कौटिल्य ने कोष विभाग के कर्मचारियों से लेकर कोष की सुरक्षा, आय के स्रोत, वृद्धि के उपाय एवं क्षय के कारणो पर बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार किया है। वर्तमान में जिसप्रकार से राष्ट्रीय विकास की रीढ़ कही जाने वाली कर-पद्धति प्रचलित है, जिसके द्वारा

सरकार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचो इत्यादि के समुन्नयन एवं अनुदान के लिए विभिन्न मदो से कोष संग्रह करती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी उद्योगों एवं राज्य में रहने वाली जनता से बिभिन्न प्रकार का राज्यांस एकत्र कर कोष संग्रह किया जाता था|

राजव्यवस्था के इतिहास में कर-पद्धति का मौलिक महत्व माना गया है, क्योंकि राजकर का सम्बन्ध सीधे प्रजा से होता था। इसी दृष्टि से राजकर को निर्धारित करने के सारे नीति नियम यद्यपि धर्मग्रन्थों द्वारा निर्धारित किये जाते थे तथापि उसको लागू करने से पूर्व उस पर समाज की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता था। कौटिल्य ने भी कर-पद्धति को अत्यंत गहराई से समझा। उन्होने इस बात पर बल दिया कि कर का उद्देश्य प्रजा को कष्ट पहुँचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रजाहित को भी सुनिश्चित करना चाहिए। उनकी यह नीति आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के वित्तीय सिद्धान्तों से अत्यंत मेल खाती है, जिसकी झलक निम्न पंक्तियों में प्रतिबिम्बित होती है-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥1

कौटिल्य की कर-पद्धति : एक विश्लेषण

कौटिल्य के कर-पद्धति को निम्नलिखित शीर्षकों में विवेचित किया गया है-

कर का मूल सिद्धान्त : मधुमक्खी सिद्धान्त

कौटिल्य ने कराधान का सर्वोत्तम स्वरूप "मधुमक्खी सिद्धान्त" के रूप में दिया है - राजा को प्रजा से कर वैसा ही लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलो से थोड़ा-थोडा मधु लेती है, बिना उसे हानि पहुँचाए। अर्थात कर इतना ज्यादे न हो जिससे प्रजा पीड़ित हो। कर संग्रह क्रमिक, सहज और न्यायप्रिय होना चाहिए। कर का बोझ किसी एक वर्ग पर अधिक न पडे और राज्य को निरंतर संतुलित राजस्व प्राप्त होता रहे। उपर्युक्त सिद्धान्त आधुनिक प्रगतिशील कराधान, संतुलित कर संरचना और आर्थिक न्याय की धारणा से मेल खाता है।

शुक्रनीति में भी उल्लेख है कि राजा द्वारा कभी भी अन्यायपूर्वक एवं अनैतिक रूप से प्रजा पर करारोपण कर कोष संग्रह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से संचित धन राज्यसहित शत्रु राज्याधीन हो जाता है-

त्यक्त्वा नीतिबलं स्वीयप्रजापीडनतो धनम् । संचित येन तत्तस्य सराज्यं शनुसाद्भवेत ।।2

राजस्व के विविध स्रोत

कौटिल्य ने बहुआधारित कर संरचना के विकास पर जोर दिया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित थे:

भूमिकर

कृषि आधारित समाज मे भूमिकर प्रमुख राजस्व स्रोत था। यह कर भूमि की उर्वरता, सिचाई की सुविधा और उत्पादन पर आधारित था। सूखा, आपदा या अनाज की कमी होने पर कर में छूट का प्रावधान था। नये सिरे से तालाब और सीमाबन्ध बनवाने वाले व्यक्ति पर पांच वर्ष तक सरकारी कर न लगाने का प्रावधान था तथा तालाब का जीर्णोद्धार कराने वाले व्यक्ति से चार वर्ष तक कर नहीं लिया जाता था। भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर दो वर्ष तक कर न लगाने का प्रावधान था।3

इसके अतिरिक्त कर वसूली के तीन प्रकार प्राप्त होते है -

- **बाह्य:** अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं पर कर
- **आभ्यन्तर:** राजमहल तथा राजधानी के अन्दर उत्पन्न होने वाले माल पर कर
- **आतिथ्य:** विदेश से आने वाले माल पर कर द्विविध प्राप्त होता है - (क) निष्काम्य - बाहर जाने वाले माल अर्थात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर तथा (ख) प्रवेश्य - बाहर से आने वाले माल अर्थात आयात पर लगाया जाने वाला कर।

शुल्कव्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यं, निष्काम्यं, प्रवेश्यं च शुल्कम् ।4

आयात माल पर उसकी लागत का पाँचवाँ हिस्सा कर रूप में लिया जाना चाहिए -

प्रवेश्यानां मूल्यपञ्चभागः।5

कौटिल्य ने व्यापारियों को संरक्षण देने पर बल दिया है और कहा कि कर उचित सीमा में रखा जाना चाहिए, ताकि व्यापार प्रभावित न हो। कौटिल्य के अनुसार फल, फूल, साग, गाजर, मूल, शकरकन्द धान्य, सूखी मछली और मांस, से इन सभी वस्तुओं पर उनकी लागत का छठा भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। शंख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रबाल और हार इन सभी मूल्यवान वस्तुओं पर कर निशेषज्ञों द्वारा नियत समय के लिए होना चाहिए। मोटे तथा महीन रेशमी कपड़ों कीमखाब सूती कवच, हरताल, मैनसिल, हिङ्गुल, लोहा, गेरू, चन्दन, अगर पीपल (कटुक) मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, शराब, हाथीदांत, मृगचर्म, रेशमी तागे, विछौना-ओठना, अन्य रेशमी वस्त्र, बकरी तथा भेड की ऊन के बने कपड़ो आदि पर उनके मूल्य का 15वाँ हिस्सा कर के रूप में लिया जाना चाहिए। मामूली सूती कपड़ों चौपायों, दूपायों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बाँस, बैल आदि का चमड़ा मिट्टी के बर्तन, अनाज घी, तेल, खारा, नमक, शराब और पके हुए अनाजों पर उनकी कीमत का 25वाँ भाग कर होना चाहिए।6

इसके अतिरिक्त वन उपज, खनिज-खनन, धातु, औषधि गाय, भैस, घोडे, कुए, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों तथा राज्य की सीमा पार करने वाले सामानों पर कर निर्धारित था। विशेष कर संग्रह के विषय में शुक्राचार्य ने भी स्पष्ट किया है कि आपात्काल में ही शत्रुसंहार एवं सेना के रक्षार्थ उद्यत राजा द्वारा उक्त प्रकार का अधिक जुर्माना एवं चुंगीकर लगाकर प्रजा से राजस्व की वसूली करनी चाहिए इसके विपरीत अनापात्काल में राजा द्वारा प्रजा से अधिक जुर्माना, मालगुजारी तथा तीर्थस्थलों एवं देवोत्तर सम्पत्ति पर करारोपण द्वारा राजस्व संग्रह नहीं करना चाहिए 7

शुक्रनीति में वर्णन है कि शासक द्वारा माली के समान प्रजा संरक्षण करते हुए शत्रु राज्य से कर स्वरूप राजस्व संग्रह किया जाना चाहिए, ऐसा राजा उत्तम कोटि का माना जाता है। जो वणिक वृत्ति से कोष संग्रह करता है, वह मध्यम कोटि का तथा जो सेवा, जुर्माना, तीर्थस्थान एवं देवालयों से कर संग्रह कर कोष भरता है, वह निम्न कोटि का होता है-

मालाकारस्य वृत्यैव स्वप्रजारक्षणेन च ।शत्रूम् हि करदीकृत्य तद्धनैः कोषवर्धनम् ॥
करोति स नृपश्रेष्ठो मध्यमो वैश्यवृत्तित: ।, अधमः सेवया दण्डतीर्थ देवकरग्रहै: ॥8

अर्थशास्त्र में भी उल्लेख है कि सेल्यूकस के आक्रमण के समय जब प्राप्त राजकर से कार्य पूनः कार्य नहीं सध पाया तो कौटिल्य ने प्रजा से धनसंग्रह के हेतु अपनी कुटिल मति एवं विलक्षण उपायों द्वारा चन्द्रगुप्त को प्रेरित किया। फलस्वरूप चन्द्रगुप्त ने अपनी प्रजा से अनुग्रह की भिक्षा मांगते हुए कहा कि आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिए धन दे। इस आपात्काल में राष्ट्ररक्षार्थ देवालयो तक से धन संग्रह किया गया था। महाभारत में भी उल्लेखा है कि षष्ठांश बलिकर (आयात-निर्यात), अपराधियों से मिलने वाला जुर्माना और उनके द्वारा अपहृत धन, जो कुछ भी न्यायत: प्राप्त हो, वह सब कुछ तुम्हारे वेतन के रूप में होगा और वही तुम्हारी आप के द्वार या राजकर होगा। 9 वेदव्यास ने कहा कि राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को बोझ न लगे राजा द्वारा कर संग्रह में मधुमक्खी जैसा आचरण करना चाहिए।10

निरर्थक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कौटिल्य ने कहा कि जो वस्तुएं राष्ट्र के लिए दुःखदायक हो, जो निरर्थक एवं केवल शौकपूर्ति के लिए हों, उन पर अधिक कर लगाकर आयात कम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र, धातु, सेना के काम आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ, अनाज, पशु आदि के आयात पर करारोपण वर्जित था। अकस्मात आर्थिक संकट की स्थिति होने पर कौटिल्य ने करारोपण पर अलग विधान दिये है, जो इसप्रकार है - बड़े या छोटे ऐसे जनपदों से अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा कर के रूप में प्रजा की अनुमति से वसूल किया जाय, जहाँ का जीवन वृष्टि पर निर्भर हो और जहाँ काफी अनाज पैदा होता हो, वहाँ भी इसी प्रकार कर संग्रह होना चाहिये। किन्तु जो जनपद मिलों, मकानों, व्यापारिक मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी-हाथी के जंगलों द्वारा राजा या प्रजा का उपकार करते हों, जो प्रदेश राज्य की सीमा पर हैं और जिनके पास अन्न बहुत थोड़ा हो उनसे कर नही लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों के प्रति राजा की ओर से कर की याचना के संबंध में विधान किया गया है। इससे इतर अन्य वस्तुओं पर भी कर मुक्ति या कम कर दर का विधान किया गया है।11

कर संग्रह की पारदर्शिता और निरीक्षण

कौटिल्य ने कर-निर्धारण के साथ साथ कर-संग्रह का विस्तृत लेखा-जोखा रखने वाले समाहर्ता नामक मुख्य अधिकारी एवं विभागवार अन्य पदो पर नियुक्ति एवं सम्वन्धित विभागवार व्यक्तियों के कार्यपद्धति तथा कर वसूली में अनियमितता होने पर दण्डविधान का विशद वर्णन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि, निरीक्षकों (ऑडिट आधिकारियो)

द्वारा नियमित जाँच होना चाहिए तथा सम्वन्धित अधिकारी कर संग्रह में दुरुपयोग न करे।

अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजकर वसूल करने वाला अधिकारी नियत समय से कर वसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा से, मियाद बीत जाने का भय देकर प्रजा को तंग करके जो धन एकत्र करता है, तो उसे अवस्तार कहते है। ऐसा करने पर उसे नुकसान की राशि से पाँच गुना दण्ड देना चाहिए

सिद्धम् कालमप्राप्तम् करोत्यप्राप्तम् प्राप्तम् वैत्यवस्तारः। तत्र पंचबन्धो दंडः।12

इसप्रकार कौटिल्य ने कर चोरी रोकने के लिए व्यापक नियमों का विधान किया है। वर्तमान समय में प्रचलित CAG, RTI, वित्तीय अंकेक्षण और संसदीय नियंत्रण जैसे लोकतांत्रिक ढाँचे में कौटिलीय कर-पद्धति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

कर प्रणाली में प्रजा-कल्याण की अवधारणा

कौटिल्य ने स्पष्ट कहा– "राज्य का उद्देश्य प्रजा का पालन है।" इससे निम्नलिखित बातें सामने आती हैं–

- कर का उद्देश्य जनता पर बोझ डालना नहीं बल्कि उनके हितों की रक्षा करना है।
- कर-संग्रह के बाद राज्य को उस धन का उपयोग जनकल्याण, सुरक्षा, विकास और व्यवस्था बनाए रखने में करना चाहिए।
- आर्थिक संकट के समय जनता को कर-छूट देना शासन का कर्तव्य है।

यह विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से अत्यंत मेल खाता है। कौटिल्य के शासन-चिंतन में लोकतंत्र के तत्व यद्यपि कौटिल्य का समय राजतंत्र का था, परंतु उनके विचारों में लोकतांत्रिक मूल्यों के अनेक आधारभूत तत्व दिखाई देते हैं–

1. **प्रजा-हित सर्वोपरि:** लोकतंत्र का मुख्य आधार जनता का हित है। अर्थशास्त्र में बार-बार प्रजा-कल्याण पर बल दिया गया है। राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है–यह कथन लोकतंत्र का मूल दर्शन है।
2. **उत्तरदायी शासन (Accountability):** कौटिल्य ने शासन व्यवस्था में–मंत्री, अधिकारी, सैनिक, कर अधिकारी, लेखाकार सभी के लिए कर्तव्य और दंड का स्पष्ट विधान दिया है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन में जवाबदेही के सिद्धांत की नींव है।
3. **परामर्श और मंत्रिपरिषद:** मंत्रिपरिषद का गठन कौटिल्य ने शासन का अनिवार्य अंग माना। राजा को किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय से पहले परामर्श लेना चाहिए। सामूहिक निर्णय-निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। यह आधुनिक कैबिनेट प्रणाली का प्राचीन स्वरूप कहा जा सकता है।
4. **शक्ति-संतुलन और प्रशासनिक नियंत्रण:** अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों के लिए पृथक-पृथक अधिकारी नियुक्त किए गए। वित्त विभाग, न्याय विभाग, सुरक्षा विभाग, व्यापार विभाग कृषि विभाग सभी के बीच शक्ति का

संतुलन लोकतांत्रिक शासन की ही तरह है।

5. **आर्थिक समानता और न्याय:** कौटिल्य ने कराधान के वितरण में समानता और न्याय सुनिश्चित किया। अनुपातिक कर, उत्पादन आधारित कर, अत्यधिक कराधान से सावधानी निर्धनों पर कम बोझ यह आधुनिक लोकतंत्र में सामाजिक-आर्थिक न्याय का आधार है।

आधुनिक संदर्भ में कौटिल्य की कर पद्धति की प्रासंगिकता

1. **GST और कौटिल्य की कर-मानसिकता:** GST एक व्यापक कर है जो वस्तुओं और सेवाओं को एकीकृत प्रणाली में लाता है। कौटिल्य का कर-विचार भी व्यापकता, सरलता और संतुलन पर आधारित था।
2. **पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन:** आज CAG, RTI, वित्तीय प्रबंधन कानून, डिजिटल टैक्स सिस्टम इन सभी में कौटिल्य की पारदर्शिता आधारित नीति का प्रभाव दिखाई देता है।
3. **कल्याणकारी योजनाएँ:** भारत की आधुनिक योजनाएँ जैसे–मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम कौटिल्य के कल्याणकारी कर दर्शन से अनुप्राणित माने जा सकते हैं।
4. **कर चोरी रोकने की आधुनिक प्रणाली:** डिजिटल भुगतान, PAN, Aadhaar लिंकिंग, ई-वे बिल, IT रिटर्न जाँच, इन सबका उद्देश्य वही है जो कौटिल्य चाहते थे–राजस्व का संरक्षण और पारदर्शिता।

तुलनात्मक अध्ययन : कौटिलीय कर पद्धति बनाम आधुनिक लोकतांत्रिक कर प्रणाली

कौटिल्य की कर नीति	आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था
मधुमक्खी-जैसा कर-संग्रह	प्रगतिशील कर प्रणाली
विस्तृत निरीक्षण व्यवस्था	CAG, आंतरिक अंकेक्षण
उत्पादन आधारित कर	GST, वैट, सेवा कर
प्रजा-हित आधारित कर	कल्याणकारी योजनाएँ
शक्ति-संतुलन	कैबिनेट, संसद, न्यायपालिका
बहु-स्रोत राजस्व	आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, GST

इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक लोकतंत्र अपनी आर्थिक और कर प्रणाली में कौटिलीय सिद्धांतों का ही परिष्कृत

रूप अपनाता है।

निष्कर्ष

कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। कर पद्धति के संदर्भ में उनके विचार अत्यंत व्यावहारिक, वैज्ञानिक और प्रजा-हित उन्मुख हैं। उन्होंने कराधान को केवल राजस्व-संग्रह का साधन नहीं माना, बल्कि राज्य और प्रजा दोनों के हितों का संतुलन माना। उनकी कर व्यवस्था–संतुलित, न्यायपूर्ण, पारदर्शी, बहु-स्रोत आधारित, उत्तरदायी प्रशासन पर आधारित, तथा जनहितकारी–इन सभी आयामों के कारण आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। प्रगतिशील कर प्रणाली, पारदर्शिता, कल्याणकारी राज्य, बहु-स्रोत कराधान, वित्तीय उत्तरदायित्व, इन सभी में कौटिल्य के सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। इस प्रकार आधुनिक लोकतंत्र के कर-प्रशासन के लिए कौटिल्य के विचार न केवल उपयोगी हैं, बल्कि दूरदृष्टि से परिपूर्ण भी हैं। वे हमें यह संदेश देते हैं कि–"कर का उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाना है, परंतु प्रजा के सुख और हित को सर्वोपरि रखते हुए।"

संदर्भ सूची

1. कौटिलीय अर्थशास्त्र - अधि0 -01/अध्याय -10/10
2. शुक्रनीति- 05/08
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र -अधि0-03/अध्याय-01/16
4. कौटिलीय अर्थशास्त्र- अधि0-02/अध्याय -22/01
5. वही - अधि0-2/ अध्याय-22 /02
6. कौटिलीय अर्थशास्त्र- अधि0-02 /अध्याय 23/03-06
7. शुकनीति - 05/09-10
8. शुक्रनीति - 04/18-19
9. महाभारत / शान्तिपर्व - 71/10
10. महाभारत -12/88/04
11. कौटिलीय अर्थशास्त्र - अधि०-05/अध्याय-02
12. कौटिलीय अर्थशास्त्र- अधि0- 02 / अध्याय -08/02
13. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, विविध संपादित संस्करण
14. मौर्यकालीन प्रशासन पर शोध सामग्री